




क्रमांक प.14(1)(76)/निमअ/सामूवि ऑनलाईन/2020/25225 जयपुर, दिनांक 12-8-2021

आदेश


मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 को विभागीय आदेश क्रमांक 21068-21194 द्वारा दिनांक 13.07.2021 से लागू किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत संस्था द्वारा सामूहिक विवाह के आयोजन एवं अनुदान हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया हेतु विकसित किये गये पोर्टल का प्रारम्भ दिनांक 03.07.2021 से किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 के तहत यूजर मैनेजमेन्ट/मैपिंग हेतु श्रीमती राजकुमारी हाड़ा कार्यक्रम निदेशक महिला अधिकारिता को एतद् द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

  
(रश्मि गुप्ता)  
आयुक्त  
महिला अधिकारिता

क्रमांक प.14(1)(76)/निमअ/सामूवि ऑनलाईन/2020/25226-335 जयपुर, दिनांक 12-8-2021

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त महिला अधिकारिता।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
4. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
6. निदेशालय महिला अधिकारिता के सभी प्रभारी अधिकारी।
7. उप निदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता, समस्त।
8. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
रश्मि गुप्ता  
10/8/21  
महिला अधिकारिता